मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. जगदीश पुत्र रामचन्द्र।
2. रामधन पुत्र रामचन्द्र।
3. बेनाथ पुत्र रामचन्द्र।
4. रतनी पत्नी रामेश्वर।
5. रतनी पत्नी रामेश्वर।
6. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर।
7. प्रधान पुत्र रामेश्वर।

समस्त जाति जाट निवासीगण गुजरवाडा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. आचुकी पत्नी जगदीश।
2. छोटू पुत्र रमेश।
3. पूजा पत्नी किशन गोपाल।
4. बालकिशन पुत्र जगदीश।
5. मुकेश पुत्र रमेश।
6. मदनलाल पुत्र जगन्नाथ।
7. मंजू पुत्री जगदीश।
8. मोहन पुत्र बालूराम।
9. रेखा पुत्री जगदीश।
10. रतनी पत्नी जगदीश।
11. राधेश्याम पुत्र रमेश।
12. लीला पुत्री जगदीश।
13. विधा पुत्री बालूराम।
14. शंकर पुत्र रामदेव।
15. शान्ति पुत्री बालूराम।
16. सीता पुत्री बालूराम।
17. सोहनी पुत्री जगन्नाथ।

समस्त जाति खाती निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी ।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद 259/2022 (2022/703)
निर्णय दिनांकः— 23/11/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री शिवप्रसाद पाराशर वकील वादी व पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी हाजिर मुददावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि करवा केकडी तहसील केकडी के खाता संख्या नया—पुराना 1541—698 खसरा नंबर 1739 रकबा 1.46हैक्टर किस्म बारानी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार के अंकन किया जावे। व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....
.....को अदा करे

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 259/2022 (2022/703)

1. जगदीश पुत्र रामचन्द्र।
2. रामधन पुत्र रामचन्द्र।
3. बेनाथ पुत्र रामचन्द्र।
4. रतनी पत्नी रामेश्वर।
5. रतनी पत्नी रामेश्वर।
6. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर।
7. प्रधान पुत्र रामेश्वर।

समस्त जाति जाट निवासीगण गुजरवाडा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

———वादीगण

♠ बनाम ♠

1. आचुकी पत्नी जगदीश।
2. छोटू पुत्र रमेश।
3. पूजा पत्नी किशन गोपाल।
4. बालकिशन पुत्र जगदीश।
5. मुकेश पुत्र रमेश।
6. मदनलाल पुत्र जगन्नाथ।
7. मंजू पुत्री जगदीश।
8. मोहन पुत्र बालूराम।
9. रेखा पुत्री जगदीश।
10. रतनी पत्नी जगदीश।
11. राधेश्याम पुत्र रमेश।
12. लीला पुत्री जगदीश।
13. विधा पुत्री बालूराम।
14. शंकर पुत्र रामदेव।
15. शान्ति पुत्री बालूराम।
16. सीता पुत्री बालूराम।
17. सोहनी पुत्री जगन्नाथ।

समस्त जाति खाती निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी ।

——— प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. वादी अधिवक्ता—श्री शिवप्रसाद पाराशर
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 23/11/२०

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके केकडी तहसील केकडी मे स्थित है। जिसका जमाबन्दी के अनुसार निम्न प्रकार हैः—

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1541–698	1739	1.46	बारानी

उक्त वर्णित आराजीयात को वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के दिनांक 6.6.1991 को वालू, उँकारमल, मदनलाल, पीसरान जगन्नाथ, शंकर पुत्र रामदेव, बालकिशन पुत्र जगदीश से उनका सम्पूर्ण हिस्सा खरीदकर उसका विक्रयपत्र उप पंजीयक कार्यालय केकडी में वादीगण के नाम पंजीयन करवाया था। जिसका पंजीयन वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व वादीगण संख्या 4 लगायत 6 के पिता के नाम दिनांक 6.1991 को पंजीबद्व करवाया गया गमरोज क्रय दिनांक से वाद वर्णित आराजीयात पर वादीगण की काश्त करते चले आ रहे है। वाद वर्णित आराजीयात पर इमरोज क्रय दिनांक से वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है वादीगण ने उक्त विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम अमल नही करवाया तथा आराजीयात आज भी प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज है जो कि कतई गलत है इन्द्राज दुरस्त किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 6.6.1991 के आधार वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 के कार्यालय में वाद वर्णित आराजीयता पत्र पेश कर निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 19 ने वादीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 6.1.2022 को उत्पन्न हुआ। वादी ने राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र सुनवाई नही की है अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः वाद वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 6.6.1991 के आधार पर वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातदोर के दर्ज किया जाने का निवेदन अपने वाद पत्र में किया जाकर दावा डिकरी किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक्सपार्टी की जाकर जवाब बंद किया गया।

शहादत वादी में श्री रामधन न शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–2 पेश किया व गवाह श्री रामदेव ने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–3 पेश किया जिस पर ए टू बी स्वयं के हस्ताक्षर है। व वादी श्री जगदीश ने शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 पेश कर अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2024, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2041, प्रदर्श–4 विवादित आराजी का विक्रय पत्र तथा जमाबंदी पेश की। **पक्षकारान की बहस सुनी गई।**

अतः पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दस्तावेजात का अवलोकन किया अत वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वाद वर्णित आराजी वाके कस्बा केकडी तहसील केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 1541–698 खसरा नंबर 1739 रकबा 1.46हैक्टर किस्म बारानी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार के अंकन किया जावे। व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। इस आश्य का डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner